न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली।
द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः (77600/2026).

1. अंकिश त्रिपाठी पुत्र सुनील त्रिपाठी,
निवासी 230 चौधरी मोहल्ला थाना किला, बरेली।
2. मुनीश कुमार त्रिपाठी पुत्र छेदालाल
निवासी ग्राम भाट सूदनपुर मुस्तकिल, थाना अलीगंज, बरेली।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य
अन्तर्गत धाराः 147, 420, 447, 506 भा0दं0सं0।
थाना–कैन्ट, जिला बरेली।
मु0अ0सं0– 24/2025

02.06.2026

आवेदकगणगण/अभियुक्तगणगण **अंकिश त्रिपाठी व मुनीश कुमार त्रिपाठी** की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत के प्रश्न पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन कथनानुसार, अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी एक किता आराजी जुज भाग खाता संख्या 562 गाटा संख्या 108/1 रकवा नौ विस्वा साढे बारह विस्वान्सी पुख्ता अर्थात 0.122 हे0 स्थित ग्राम मोहन पुर थाना कैन्ट, परगना तहसील व जिला बरेली का मालिक काबिज व दाखील बजरिए रजिस्टर्ड बैनामा चला आ रहा है जिसकी रजिस्ट्री प्रार्थी के हक में दिनाक 27–09–2004 को रजिस्ट्री कार्यालय बरेली में हुई है। उक्त आराजी को क्रय करने के पश्चात प्रार्थी ने उक्त आराजी के चारो ओर पक्की बुनियाद भरवा कर दीवारे उठवाई थी तथा उसमें पूर्व की ओर एक कमरा भी बनवा दिया था। अंकिश त्रिपाठी पुत्र सुनील त्रिपाठी निवासी मकान नं0–230, चौधरी मोहल्ला, तहसील व जिला बरेली व अक्षित सिंह पुत्र मंजुल कुमार निवासी–मकान –491, ब्रहम्पुरा भूड, तहसील व जिला बरेली व मुनीश कुमार पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम भाट सूदनपुर मुस्तकील तहसील व जिला बरेली गिरोहबन्द व भूमाफिया किस्म के लोग हैं और गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों की आराजी को विवादित करके आराजी पर अवैध कब्जा करते हैं। उक्त अंकिश त्रिपाठी के गिरोह के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में अन्य पीड़ित लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पंजीकृत करवा रखी है। उक्त अभियुक्तों की नीयत प्रार्थी की आराजी पर खराब है और उक्त अभियुक्तगण प्रार्थी की उक्त भाराजी पर बल पूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और धमकिया दे रहे हैं कि यदि प्रार्थी अपनी आराजी पर आया तो प्रार्थी की हत्या कर देंगे। दिनाक 15–06–202–4 को सुबह लगभग 06:00 बजे उक्त अभियुक्तगण ने प्रार्थी की उक्त आराजी पर गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा करने की कोशिश की जिसकी लिखित तहरीर प्रार्थी द्वारा दी गयी, परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जिससे अंकिश त्रिपाठी के हौंसले बुलन्द हो गये। प्रार्थी उक्त अंकिश त्रिपाठी व उसके गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अतः उक्त मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अंकिश त्रिपाठी व उसके सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर आवश्यक

कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फर्जी, मनगढंत काल्पिनक कहानी बनाई गयी है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे दिनांक 15.06.2024 को सुबह की कथित घटना का उल्लेख किया है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट सोची समझी रणनीति दिनांक 12.01.2025 को अत्यन्त विलम्ब से लिखाई गयी है। दिनांक 15.06.2024 को भारतीय दण्ड संहिता विधि लागू थी, मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता विधि के तहत दर्ज न होकर भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया था और बाद में वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष जाने के उपरान्त मुकदमा आई०पी०सी० में परिवर्तित किया गया है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे यह कही भी दर्शित नही किया है कि उसके साथ क्या धोखाधड़ी या चार सौ बीसी हुई है। प्रार्थी अभियुक्त गाटा सं0–108/1 स्थित ग्राम मोहनपुर बरेली की सम्पत्ति के सम्बन्ध में इमरान खॉ, हारिश खॉ आदि में विवाद चल रहा है, जिसमें अभियुक्तगण के हक में स्टे है, वादी मुकदमा ने उन्ही लोगो के इशारे पर झूठा मुकदमा लिखाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से धारा 420 आई०पी०सी० का कोई अपराध घटित नही होता है पुलिस द्वारा अपनी मनमानी कर फर्जी तरीके से धारा–318(4) बी०एन०एस० अंकित की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई धोखाधडी या जालसाजी वादी मुकदमा से नही की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है। दिनांक 18.04.2026 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर थाना पुलिस पहुंची और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उस समय घर पर नहीं थे, काम के सिलसिले मे बाहर गये हुये थे थाना पुलिस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर बताया गया कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपना आत्मसर्मपण कर दें अन्यथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज देगें। इसलिये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने की आशंका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचाणीय है। अभियुक्तगण भारत के किसी भी न्यायालय से कारावासित या दोषसिद्ध नही हुये है। अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है, जमानत का दुरूपयोग नही करेगें। और न ही भविष्य में गवाहान सबूत को प्रभावित करेंगे। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादी की आराजी जो वादी द्वारा दिनांक 27.09.2004 को बजरिए रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। वादी की उक्त आराजी पर अंकिश त्रिपाठी, अक्षित सिंह, मुनीश बुरी नजर रखते हैं। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण दीवानी प्रकृति का है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले के गुण दोश पर बिना कोई विचार किये में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाता हूँ। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। दौरान विचारण

अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त दीपक की जमानत दिनांक 31.05.2025 एवं अमित उर्फ तिलकधारी की जमानत दिनांक 07.04.2025 को स्वीकृत हो चुकी है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का वर्तमान मामले में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **अंकिश त्रिपाठी व मुनीश कुमार त्रिपाठी** द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, अभियुक्तगण द्वारा रूपये–**50,000–50,000**/– (पचास–पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोप विरचित दिनांक तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षी को किसी भी प्रकार से डरायेगे, धमकायेंगे नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(विजेन्द्र त्रिपाठी) ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, बरेली
जे0ओ0 कोड यू0पी0–6160

दिनांकः 02.06.2026

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.06 10:09:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court